



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1947 (श10)

(सं० पटना 180) पटना, बृहस्पतिवार, 05 फरवरी 2026

सं० 06/वि० 09-242/2025-1882
शिक्षा विभाग

संकल्प

3 अक्टूबर 2025

विषय:—राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को कक्षा— I से IV तक रु० 600/—(छः सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 1200/—(बारह सौ रुपये), कक्षा— V से VI तक रु० 1200/— (बारह सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 2400/—(दोबीस सौ रुपये) एवं कक्षा— VII से VIII तक रु० 1800/—(अठारह सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 3600/— (छत्तीस सौ रुपये) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल वार्षिक व्यय रु० 3,00,00,00,000/— (तीन अरब) रुपये की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्रा को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उक्त योजना के प्रारंभिक वर्ष से अभी तक छात्रवृत्ति योजना (सामान्य कोटि) के तहत लाभुकों के देय राशि में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामान्य कोटि के छात्र/छात्रा को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहयोग के माध्यम से विधार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की आवश्यकता है। उक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान दर में दोगुनी वृद्धि की जा रही है।

2. राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के

कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्रा को शिक्षा के प्रति रुझान एवं पठन-पाठन के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति दर को पुनर्निर्धारित किये जाने पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सकेगा।

3. उक्त योजना के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में स्वीकृत दर तथा प्रस्तावित वृद्धि के अनुसार पुनर्निर्धारित दर का विवरण निम्नवत् है:-

योजना का नाम	वर्ग	छात्रवृत्ति की वार्षिक वर्तमान दर	छात्रवृत्ति की वार्षिक देय दर
छात्रवृत्ति योजना (सामान्य कोटि के छात्रा)	I से IV तक	₹600/-	₹1200/-
	V से VI	₹1200/-	₹2400/-
	VII से VIII	₹1800/-	₹3600/-
छात्रवृत्ति योजना (सामान्य कोटि के छात्र) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000/- तक हो	I से IV तक	₹600/-	₹1200/-
	V से VI	₹1200/-	₹2400/-
	VII से VIII	₹1800/-	₹3600/-

4. शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना, सामान्य कोटि (वर्ग 1-8 तक) के क्रियान्वयन हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दर्ज लाभार्थियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि के अनुसार लगभग 3,00,00,00,000 (तीन अरब रुपये) वार्षिक व्यय होना आकलित है।

5. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग सं०- 21, मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष- 109- छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन, उपशीर्ष- 0105-प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष- 0105.34.02-प्रोत्साहन, विपत्र कोड-21-2202011090105 से किया जायेगा।

आवश्यकता अनुसार राशि का प्रावधान अतिरिक्त उद्व्यय/अनुपूरक आगणन के माध्यम से की जायेगी।

6. वर्णित स्थिति में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को कक्षा-I से IV तक रु० 600/- (छः सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 1200/- (बारह सौ रुपये), कक्षा-V से VI तक रु० 1200/- (बारह सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 2400/- (चौबीस सौ रुपये) एवं कक्षा-VII से VIII तक रु० 1800/- (अठारह सौ रुपये) को संशोधित करते हुए रु० 3600/- (छत्तीस सौ रुपये) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल वार्षिक व्यय रु० 3,00,00,00,000/- (तीन अरब) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

7. उक्त निर्णय पर दिनांक 03.10.2025 को मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 180-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>